न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/573

मिसलनम्बर– 65 / 2023

1.श्रीमति सलमा विधवा पत्नि स्व0 फखरूद्दीन निवासी म0न0 52 अमन कॉलोनी नूरी जामा मस्जिद के सामने विज्ञान नगर कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.जावेद अंसारी पुत्र फखरूद्दीन
2.श्रीमति रूबीना पत्नि जावेद अंसारी जाति मुसलमान
3.साजिद पुत्र जावेद अंसारी जाति मुसलमान निवासी म0न0 52 अमन कॉलोनी नूरी जामा मस्जिद के सामने विज्ञान नगर कोटा

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 23/10/24

उपस्थिति:–

1.श्री जाकिर हुसैन प्रार्थी अधिवक्ता।
2.श्री विघाशंकर गोस्वामी अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया म० न0 52 अमन कोलोनी नूरी जामा मस्जिद के सामने विज्ञान नगर कोटा मे निवास करती है एवम अप्रार्थीगण भी उक्त पते पर ही निवास करते है। प्रार्थीया एक विधवा एवम वृद्ध 70 वर्ष की महिला है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रार्थीयां अपने विवाहित पुत्र जावेद अन्सारी पुत्र वधु श्रीमति रूबीना , पोता साजिद के साथ उक्त पते वाले मकान मे निवास करती है। उक्त मकान दो मंजिला है उक्त प्रार्थीया के स्वामित्व व मालकाना व पटटे रजि0शुदा है। जिसमे अप्रार्थीगण प्रार्थीया के समहती से एक कमरे मे निवास करते है तथा एक कमरे को रसाई बना रखी है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पास दो कमरे है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु के बाद से ही अप्रार्थी न01 व उसकी पत्नि अप्रार्थी कम 2 तथा पोता अप्रार्थी न०3 आये दिन प्रार्थीया के साथ अभद्र व्यवहार करते है गाली गलोंच व हाथा पाई करते है एवम धक्का मुक्की तक प्रार्थीया के साथ करते रहते है। प्रार्थीया जो कि विधवा एवम वृद्ध महिला है इसलिये चुपचाप अप्रार्थीगण का अत्याचार सहन करती रहती है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के नाम का उक्त मकान को पूरा जबरदस्ती कब्जा करके हड़पना चाहते है। इसलिये अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ इस हद तक अत्याचार करते है कि प्रार्थीया परेशान होकर या तो घर छोड कर चली जावे या उक्त मकान अप्रार्थीगण के कब्जे मे दे देवे। अप्रार्थी कम 1 व 3 ने अप्रार्थी कम 2 की शैह पर प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

साथ मारपीट की जिस पर अप्रार्थी कम 1 व 3 के विरूद्ध प्रार्थीया की रिपोर्ट पर दिनांक 23–8–23 को धारा 107, 151 मे पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया जहां से पाबन्द होने के बावजूद भी दिनांक 30–8–23 को भी पुनः जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि जिस मकान मे प्रार्थीया निवास करती है उक्त मकान को मेरे नाम करो। इस मकान मे से मै किसी को भी कोई हिस्सा नहीं दूंगा और यदि यह मकान मेरे नाम नहीं करा तो मै तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी कम 3 ने भी गाली गलोच की बडी मुश्किल से प्रार्थीया ने अपने आपको कमरे मे बन्द कर बचाया इस बाबत प्रार्थीया अप्राथींगण के डर के मारे पुलिस मे भी रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जा सकी अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ किसी भी प्रकार की जान व माल की हानि भी पहूंचा सकते है ऐसी सूरत में प्रार्थीया का अपने उक्त मकान मे निवास करना दुर्भर हो रहा है इसलिय प्राथीया अपनी जान व माल की हिफाजत के लिये अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहती है ।क्योकि अप्रार्थी कम 1 आरंभ से ही ना तो प्रार्थीया को भरण पोषण देता है और ना ही प्रार्थीया की हारी बिमारी मे सांर संभाल करता है। इसलिये प्रार्थीया ऐसे पुत्र को अपने साथ नहीं रखना चाहती है प्रार्थीया एक 70 वर्षीया महिला है तथा सिनियर सिटीजन है। अप्रार्थीगण का यह दायित्व है कि वह प्रार्थीया का भरण पोषण करे उसकी दवा दारू करे उसकी देखभाल करे लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। बल्कि वृद्धवावस्था मे प्रार्थीया को उसके स्वयं के मकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है एवम उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही है। मोहल्ले वाले बीच बचाव करने आते है तथा अप्रार्थीगण को समझाने का प्रयास करते है तो अप्रार्थीगण उनके साथ भी गाली गलोच मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के कृत्य से काफी भयभीत है तथा अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थी न०1 व उसकी पत्नि अप्रार्थीया न 2 तथा अप्रार्थी न० 3 के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने व अप्रार्थीगण का प्रार्थीया के उपरोक्त कमरो मकान खाली करवाकर मकान से बेदखल करने का आदेश थाना विज्ञान नगर कोटा के नाम जारी करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया के साथ न तो गाली गलोच की है और न मारपीट की है। प्रार्थीया द्वारा गलत बयानी करके रिपोर्ट करना व अप्रार्थीगण द्वारा जमानत करवाया जाना स्वीकार है बाकी सब तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण तो प्रार्थीया की अच्छी तरह से सेवा चाकरी करते है प्रार्थीया अपने दूसरे पुत्रो तसलीम, रईस के बहकावे आकर तथा अप्रार्थीगण को झूठे मनगढन्त तथ्यो के आधार जबरन मकान से बेदखल करना चाहती है उक्त मकान का मात्र प्रार्थीया के नाम का पटटा है मकान तो स्वयं अप्रार्थी न0 1 के पिता फखरूददीन द्वारा अपनी कमाई से बनाया गया है। उक्त मकान मे मात्र अप्रार्थीगण एक कमरा मे निवास करते है तथा एक रसोई है जिसका खाना बनाने के काम मे लेते है प्रार्थीया अपने दोनो पुत्रो के बहकावे मे आकर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान कर रही है। जब कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की हर प्रकार से देखभाल करते है तथा उसके साथ अच्छा व्यवहार करते है तथा हर वक्त उसका ख्याल रखते है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीया के साथ कोई मारपीट नहीं की है। अप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थीया के साथ प्रेम पूर्वक रहते है । प्रार्थीया के अपने पति की सरकारी पेन्शन 18 –20 हजार रूपये माहवार आती है जिसको भी अपने अन्य दो पुत्रो को देती है और अपने उपर खर्च नही करती है प्रार्थीया हर प्रकार से अपना भरण पोषण करने में सक्षम है प्रार्थीया को कभी अप्रार्थीगण मकान से बेदखल करने की धमकी नहीं दी है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया को भयभीत नहीं किया है प्रार्थीया हर प्रकार से सुरक्षित है प्रार्थीया मात्र अपने अन्य पुत्रो के बहकावे मे अप्रार्थीगण के उपर गलत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आरोप लगा रही है। प्रार्थीया के अन्य दो पुत्र जो अप्रार्थीगण से रंजिश रखते है प्रार्थीया को बहकाते रहते है तथा वह अप्रार्थीगण मकान से बेदखल करवाकर स्वयं मकान पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीया के नाम अपने पति जो कि सरकारी सेवा मे पोस्ट आफीस रिटायर्ड हुये है उनकी 18–20 हजार रूपये की पेन्शन आती है जो प्रार्थीया के भरण पोषण के लिये प्रयाप्त है लेकिन प्रार्थीया उक्त राशि को अपने उपर खर्च नहीं करके अपने अन्य दोनो पुत्र को देती है। अप्रार्थीगण ने कभी प्रार्थीया के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है हमेशा उन्हे स्नेह प्यार दिया है तथा हमेशा उनकी सेवा आदि करते रहेगे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो कि हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थीया को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रही है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान म0न0 52 अमन कॉलोनी नूरी जामा मस्जिद के सामने विज्ञान नगर कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है वे प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे एवं उपरोक्त वर्णित मकान म0न0 52 अमन कॉलोनी नूरी जामा मस्जिद के सामने विज्ञान नगर कोटा में प्रार्थीया के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनाक: 23/10/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा